प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

सेवा में,

संबन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-SPMU/NHM/MIS/e-Hospital & ORS/2016–17 / 77 / 3746 दिनाँकः 18–07–2017

विषयः– 27 जिला चिकित्सालय में ई–हॉस्पिटल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

कृपया इस कार्यालय के पूर्व पत्र सं0– SPMU/NHM/MIS/e-Hospital&ORS/2016–17 / 77 / 6779–27 दिनांक 28.10.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आप के अधीन चिकित्सालय में ई–हॉस्पिटल परियोजना को लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है, उक्त के क्रम में आप के स्तर से On boarding, Detailed Project Proposal & Acceptance of Detailed Project Proposal एन0आई0सी0 को प्रेषित की जा चुकी है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या ROP F.No. 10(15)/2016-NRHM-I Dated 08.08.2016 द्वारा FMR Code B14.40 "e-hospital implementation at District Hospitals" में धनराशि स्वीकृत की गयी है।

जनपद स्तर पर ई–हॉस्पिटल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एच0एम0आई0एस0 प्रोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर आपके चिकित्सालय को निम्न आवश्यक मदों में धनराशि अवमुक्त की जा रही है, विवरण निम्नवत हैः–

Sl.	District name	Name of District Hospital	Total No. of BEDs as per HMIS portal	Total no. of System (Desktop, Printer and UPS) required for e-hospital project	Total Amount allocated for Procurement of Computer system @ Rs 75000/ system	Total Amount allocated for Procurement of Lased line (upto10 Mbps)	Total Amount allocated for Procurement of redundant internet connectivity Broad Band line (upto10 Mbps)	Configuration charges for e-Hospital software at District hospitals	Total Amount allocated for IT Infra Installation charges (including network cabling, power supply installation)	Total Amount allocated for Furniture & fittings @ Rs 10000/ system	Total budget allocation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kanpur Nagar	UHM Hospital	416	30	2250000	1000000	60000	276500	1000000	300000	4886500
2	Lucknow	Awanti Bai Women Hospital	326	25	1875000	1000000	60000	276500	1000000	250000	4461500
3	Bareilly	District Hospital	325	25	1875000	1000000	60000	276500	1000000	250000	4461500
4	Gorakhpur	District Hospital	305	25	1875000	1000000	60000	276500	1000000	250000	4461500
5	Azamgarh	District Hospital	300	25	1875000	1000000	60000	276500	1000000	250000	4461500
6	Lucknow	Lok Bandhu R.N Combined Hospital Kanpur Road	300	25	1875000	1000000	60000	276500	1000000	250000	4461500
7	Varanasi	S.S.P.G. DIV. DIST. HOSPITAL	286	20	1500000	1000000	60000	276500	700000	200000	3736500
8	Meerut	P.L.Sharma Hospital	250	20	1500000	1000000	60000	276500	700000	200000	3736500
9	Faizabad	District Hospital	220	20	1500000	1000000	60000	276500	700000	200000	3736500

Sl.	District name	Name of District Hospital	Total No. of BEDs as per HMIS portal	Total no. of System (Desktop, Printer and UPS) required for e-hospital project	Total Amount allocated for Procurement of Computer system @ Rs 75000/ system	Total Amount allocated for Procurement of Lased line (upto10 Mbps)	Total Amount allocated for Procurement of redundant internet connectivity Broad Band line (upto10 Mbps)	Configuration charges for e-Hospital software at District hospitals	Total Amount allocated for IT Infra Installation charges (including network cabling, power supply installation)	Total Amount allocated for Furniture & fittings @ Rs 10000/ system	Total budget allocation
10	Basti	District Hospital	216	20	1500000	1000000	60000	276500	700000	200000	3736500
11	Kanpur Nagar	District Female Hospital	210	20	1500000	1000000	60000	276500	700000	200000	3736500
12	Agra	District Hospital	200	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
13	Agra	District Female Hospital	200	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
14	Aligarh	Malkhan Singh District Hospital	200	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
15	Allahabad	Sapru TB Hospital	199	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
16	Moradabad	District Hospital	187	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
17	Gonda	District Hospital	174	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
18	Jhansi	District Hospital	172	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
19	Allahabad	Moti Lal Nehru District Hospital	156	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
20	Varanasi	L.B.S. RAMNAGAR HOSPITAL	153	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
21	Mirzapur	District Hospital	140	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
22	Varanasi	Pandit Deen Dayal District Hospital	125	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
23	Banda	District Male Hospital	117	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
24	Saharanpur	SBD District Hospital	110	15	1125000	1000000	60000	134300	700000	150000	3169300
25	Aligarh	Pt Deen Dayal District Combined Hospital	100	15	1125000	1000000	60000	134300	500000	150000	2969300
26	Kanpur Nagar	Manyawar Kashiram Hospital	100	15	1125000	1000000	60000	134300	500000	150000	2969300
27	Etawah	District Male Hospital	90	15	1125000	1000000	60000	134300	400000	150000	2869300
Grand Total				**495**	**37125000**	**27000000**	**1620000**	**5190300**	**20000000**	**4950000**	**95885300**

उपरोक्त तालिका के अनुसार आपके चिकित्सालय में ई–हॉस्पिटल परियोजना हेतु धनराशि मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से स्थानान्तरित की जा रही है, जिसे सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से चिकित्सालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना है।

क्रय संबंधी मानक–

1. कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु "Procurement of Computer/Printer/UPS" के अन्तर्गत 01 डेस्क टॉप कम्प्यूटर, 01 लेजर प्रिंटर एवं 01 यू0पी0एस0 (Reputed Brand) कय के लिये अधिकतम रू0 75,000.00 (रु0 पचहत्तर हजार) की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है, तकनीकी विवरण निम्नवत् हैं–
   - Desktop Computer : Intel Core i5 or above, 3.2 Ghz or above, 4 GB DDR3 SDRAM or above , min. 500 GB HDD 7200 rpm , DVD R/W, keyboard , Optical Mouse, 10/100/1000 mbps network adoptor, Min. 18.5" Screen, windows 8 or above

- UPS min. 600 VA offline
- Laser jet MFP printer : Print, copy, scan, Min. 18 ppm, Print technology: Laser, Print quality black (best)- Up to 600 x 600 dpi (1200 dpi effective), Resolution technology- FastRes 1200, Processor speed – min. 400 MHz, high speed USB 2.0 port, duty cycle 8000 pages per month.

2. अधिकतम 10 एम0बी0पी0एस0 लीजलाइन कनेक्शन (upto 10 Mbps Leased Line Connection) की स्थापना एवं उसके वार्षिक व्यय हेतु अधिकतम रू0 10.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है, जिसे चिकित्सालय में ई–हॉस्पिटल परियोजना हेतु स्थापित किये जाने वाले डेस्कटॉप कम्प्यूटर की संख्या एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु चिकित्सालय की न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही उपयोगित किया जाना है।
3. लीजलाइन कनेक्शन स्थापना हेतु जारी किये जाने वाले कार्यादेश में लीजलाइन कनेक्शन को Wired Media (Fibre Optic/ Copper) and Radio Frequency Link for alternate connectivity, Bandwidth / User Access Management/Firewall हेतु Router एवं कनेक्टिविटी उपलब्धता हेतु Service Level Agreement(SLA) कराये जाने का प्राविधान करने हेतु सम्बन्धित फर्म को अवश्य निर्देशित किया जाए।
4. अधिकतम 10 एम0बी0पी0एस0 ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन (upto 10 Mbps Leased Line Connection) हेतु रू0 0.60 लाख की धनराशि, जिसे चिकित्सालय में ई–हॉस्पिटल परियोजना हेतु स्थापित किये जाने वाले डेस्कटॉप कम्प्यूटर की संख्या एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु चिकित्सालय की न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही, इस आशय से स्वीकृत की गयी है कि लीजलाइन कनेक्शन बाधित होने की दशा में ई–हॉस्पिटल परियोजना हेतु उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटरों को ससमय ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन पर स्थानान्तरित (Switch) किया जा सके, जिससे ई–हॉस्पिटल परियोजना सम्बन्धी कार्य बाधित न हो।
5. एन0आई0सी0 भारत सरकार की आर0सी0 फर्म मैसर्स सिल्वरटच से आर0सी0 में उल्लिखित नियमों/दरों के अनुसार चिकित्सालय में स्वीकृत बेड सं0 (as per HMIS Portal) के अनुसार ही configuration charges of e-Hospital software at District hospitals के लिये उपरोक्त तालिका के कॉलम सं0–09 के अनुसार आपके चिकित्सालय हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, जिसे चिकित्सालय में स्वीकृत बेड संख्या (as per HMIS Portal Data) एवं क्रियाशील होने की दशा में ही उपयोगित किया जाना है।
6. आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना (IT Infra Installation charges (including network cabling, power supply installation) के लिये उपरोक्त तालिका के कॉलम सं0–10 के अनुसार आपके चिकित्सालय हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, जिसका उपयोग ई–हॉस्पिटल परियोजना हेतु कय किये गये डेस्कटॉप कम्प्यूटरों में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी/स्थापना हेतु ही उपयोगित किया जाना है।
7. फर्नीचर एवं फिटिंग्स हेतु Rs 10,000/ की दर से उपरोक्त तालिका के कॉलम सं0–11 के अनुसार आपके चिकित्सालय हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, जिसका उपयोग ई–हॉस्पिटल परियोजना हेतु क्रय किये गये डेस्कटॉप कम्प्यूटरों को स्थापित/क्रियाशील करने हेतु ही किया जाना है।

क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश

1. ई–हॉस्पिटल परियोजना को राज्य की महत्वकांक्षी परियोजना के रूप में चयनित किया गया है।
2. प्रत्येक चिकित्सालय में ई–हॉस्पिटल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ई–हॉस्पिटल नोडल अधिकारी नामित किया जाना है।
3. ई–हॉस्पिटल परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक चिकित्सालय में निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में ई–हॉस्पिटल परियोजना कियान्वय समिति का गठन किया जाना है, जो ई–हॉस्पिटल परियोजना की समीक्षा करेगी, तथा कृत कार्यवाही से एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को ससमय अवगत कराएगी।
4. ई–हॉस्पिटल क्रियान्वयन हेतु गठित समिति में संबंधित जिला सूचना अधिकारी (डी0आई0ओ0), एन0आई0सी0 एवं संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को अवश्य सम्मिलित किया जाये।
5. ई–हॉस्पिटल नोडल अधिकारी द्वारा चिकित्सालय की ई–हास्पिटल पोर्टल पर पंजीकरण एवं on boarding इत्यादि कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाये एवं परियोजना क्रियान्वयन सम्बंधित समस्त कार्य एन0आई0सी0 एवं मैसर्स सिल्वरटच से सामंजस्य स्थापित कर ससमय पूर्ण करते हुए किये जायें।
6. 27 जिला/मण्डलीय चिकित्सालयो में परियोजना क्रियान्वयन सम्बन्धी समस्त कार्य नोडल अधिकारी द्वारा 21 दिन के अन्दर अवश्य पूर्ण करा लिया जाये तथा इस संबंध में एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को अद्यतन स्थिति से समय–समय पर अवगत कराया जाये।
7. गैप एनॉलिसिस रिपोर्ट में वर्तमान मे उपलब्ध आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर/मानव संसाधन तथा ई–हॉस्पिटल परियोजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू0पी0एस0, लैन डिवाईसेस इत्यादि की संख्या तथा Technical Specification तथा मानव संसाधन आदि के सम्बन्ध में Technical

Consultation संबंधित समस्त कार्य एन0आई0सी0, भारत सरकार के आर0सी0 फर्म मैसर्स सिल्वरटच से आर0सी0 में उल्लिखित नियमों/दरों से ही कराया जाये।

8. सम्बन्धित जिला चिकित्सालयो मे होने वाले समस्त कार्य यथा आई0टी0 इन्फ्रास्टक्चर, इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर उपकरण इत्यादि की कय प्रक्रिया में जिला सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित किया जाये।
9. भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में ई-हॉस्पिटल परियोजना हेतु आवश्यक उपकरण यथा आई0टी0 इन्फ्रास्टक्चर, इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर उपकरण इत्यादि का कय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 रेट कॉन्ट्रेक्ट अथवा Competitive bidding के माध्यम से गैप एनॉलिसिस रिपोर्ट के क्रम में तय मानको के अनुसार ही कराया जाये।
10. ई-हॉस्पिटल परियोजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू0पी0एस0, लैन डिवाईसेस एवं नेटवर्किंग इत्यादि हेतु *क्रयादेश न्यूनतम आवश्यता के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत क्रय संबंधी नियमों/प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किया जाए।*
11. *ई-हॉस्पिटल परियोजना क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन की तैनाती के सम्बन्ध में भारत सरकार स्तर से निर्णय अपेक्षित है। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन की तैनाती एवं प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही एन0आई0सी0, भारत सरकार की आर0सी0 फर्म मैसर्स सिल्वरटच से आर0सी0 में उल्लिखित नियमों/दरों से ही किया जाना है।*
12. भारत सरकार के निर्देशों के कम में ई-हॉस्पिटल परियोजना हेतु मानव संसाधन स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण संबंधित चिकित्सालयों को मैसर्स सिल्वरटच द्वारा गैप एनॉलिसिस में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारम्भ में आवश्यक *मानव संसाधन की संख्या एवं उनके प्रबन्धन की योजना भी प्रस्तुत की जायेगी,* जिस पर भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त ही चिकित्सालय में डाटा एग्जीक्यूटिव/टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की न्यूनतम समयावधि हेतु आउटसोर्सिंग, मैसर्स सिल्वरटच से आर0सी0 की दरो के अनुसार ही की जाये, जहां तक सम्भव हो चिकित्सालय में कार्यरत मानव संसाधन को ही प्रशिक्षणोपरान्त इस कार्य हेतु अधिकृत किया जाए।
13. चिकित्सालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले मानव संसाधन हेतु नोडल आधिकारी ई-हॉस्पिटल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
14. ई-हॉस्पिटल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु किसी भी समस्या के निराकरण हेतु महाप्रबंधक-एम0आई0एस0 से ई-मेल आईडी gmmisup@gmail.com पर सम्पर्क करने का कष्ट करें।

व्यय सम्बन्धी दिशा-निर्देश

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यकम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490–8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक-SPMU/NHM/MIS/e-Hospital&ORS/2016–17/77/ तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति उ0प्र0।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
7. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से चिकित्सालय हेतु आवंटित धनराशि को सम्बन्धित चिकित्सालय को तत्काल स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 उ0प्र0।
9. सम्बन्धित जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 उ0प्र0।

(डा0 प्रबीर पांडा)
महाप्रबन्धक एम0आई0एस0